सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–815

14–7–2010

पंचायत सचिव को आर्थिक दंड

पटना, 14 जुलाई :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री शकील अहमद ने लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव, उटेसरा, प्रखंड– सलखुआ, सहरसा पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री विलसन को सूचना देन में टाल – मटोल करने के एवज में पंचायत सचिव पर दि0 25. 3. 10 के प्रभाव से 19,500 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही उनके वेतन से दण्ड की राशि की कटौती हेतु बी0 डी0 ओ0, सलखुआ को आदेशित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि आवेदक को सूचना सुलभ नहीं कराने में दो पंचायत सचिवों की भूमिका थी, जिसमें आयोग ने जिम्मेदारी निर्धारित कर वर्तमान पंचायत सचिव, श्री शशि खेखर वर्मा को आर्थिक दण्ड लगाने की कार्रवाई पूर्ण की ।

————————————